बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6 / एन0–08–91 / 2018–......... / पटना–15, दिनांक–...................................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–925(6), दिनांक–27.09.2018 द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(ii) के आलोक में कोशी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, कटिहार सेवा सदन, हॉस्पीटल रोड, विनोदपुर, कटिहार द्वारा प्रस्तावित कटिहार जी0एन0एम0 नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, नियर के0एम0सी0एच0, भेरिया रहिका, वार्ड नं0–4, दलन, कटिहार के नाम से जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 – विभागीय आदेश ज्ञापांक–853(6), दिनांक–09.07.2019 द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में डॉ0 राज नारायण द्विवेदी, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 – विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त कटिहार जी0एन0एम0 नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, नियर के0एम0सी0एच0, भेरिया रहिका, वार्ड नं0–4, दलन, कटिहार को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4 (iii) के आलोक में जी0एन0एम0 प्रशिक्षण पाठयक्रम में 60 (साठ) सीटो पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:–

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों / निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, कटिहार समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र / छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) नर्सिंग संस्थान बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी। सत्र का निर्धारण बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा किया जायेगा तथा सत्र निर्धारण के उपरान्त ही संस्थान छात्र / छात्राओं का नामांकन प्रारंभ करेंगे।

(च) राज्य के अन्तर्गत नर्सिंग शिक्षा में गुणात्मक सुधार के निमित विभागीय आदेश ज्ञापांक–944(6), दिनांक–26.07.2019, 631(6), दिनांक–17.05.2019 एवं पत्रांक–991(6), दिनांक–05.06.2019 द्वारा नर्सिंग संस्थानों के लिए निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन तीन माह के अन्दर किया जाएगा। साथ ही अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्धारित अवधि के अन्तर्गत विभाग को समर्पित करेंगें। इसे अत्यावश्यक समझेगें एवं भविष्य में निर्गत होने वाले दिशा–निर्देशों का अनुपालन संस्थान अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(छ) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ (ii) सिविल सर्जन, कटिहार तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(डॉ0 कौशल कुमार)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6/एन0–08–91/2018–258(6) पटना, दिनांक– 22/02/2021

प्रतिलिपिः– सचिव, कटिहार जी0एन0एम0 नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, नियर के0एम0सी0एच0, भेरिया रहिका, वार्ड नं0–4, दलन, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/सिविल सर्जन, कटिहार/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख, 22/2/21
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।